न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 109/2024

प्रार्थी : –

श्री जवाराम पुत्र श्री मूलारामजी पुरोहित निवासी पुरोहित वास आदर्श तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. श्री बाबूलाल पुत्र श्री कसालिंगजी पुरोहित निवासी पुरोहित वास आदर्श तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. ग्राम पंचायत आदर्श तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही जरिए सरपंच ग्राम पंचायत आदर्श तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री चन्दनसिंह डाबी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।

निर्णय

दिनांक 16.02.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या एक के हक में अप्रार्थी संख्या दो द्वारा जारी पट्टा संख्या 001450 दिनांक 10.10.1999 क्षेत्रफल 2100 वर्गफीट एवं नवीनीकरण प्रमाण पत्र संख्या 347 दिनांक 27.02.2021 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये, जिस पर अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जबाव प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह डाबी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या दो ने अप्रार्थी संख्या एक के हक में पट्टा संख्या 001450 दिनांक 10.10.1999 क्षेत्रफल 2100 वर्गफीट का नवीनीकरण प्रमाण पत्र संख्या 347 दिनांक 27.02.2021 को जारी करने में गम्भीर कानूनी एवं तथ्यात्मक त्रुटी की है, जिससे उक्त पट्टा एवं पट्टा नवीनीकरण प्रमाण पत्र काबिल निरस्त के है। यह कि ग्राम पंचायत आदर्श ने उक्त पट्टा नवीनीकरण प्रमाण पत्र पूर्व में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानो एवं नियमो की पूर्णतया अनदेखी कर जारी पटटा संख्या 001450 का नवीनीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 347 दिनांक 27.02.2021 के जरिये जारी किया है, जो प्रथम दृष्टिया काबिल निरस्त के है। यह कि ग्राम पंचायत आदर्श पूर्व ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी ने प्राथी के पिता के हक में जारी पट्टे से लगती भूमि, जिस पर प्रार्थी का उसके पिता के जरिये गत करीब 43 वर्षो से ग्राम पंचायत की जानकारी में शान्तिपूर्वक बिना रुकावट के कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी के 5 ट्रोली पत्थर एवं लकडियां

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 02

पडी हुई है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के चारों ओर कांटो की बाड की हुई है, जिस पर अप्रार्थी संख्या एक का कभी भी कोई कब्जा आधिपत्य नहीं था एवं न ही उस पर अप्रार्थी संख्या एक का किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य किया हुआ है। यह कि ग्राम पंचायत आदर्श पूर्व ग्राम पचायत आदर्श डुंगरी द्वारा जारी पट्टा संख्या 001450 दिनाक 10.10.1999 का नवीनीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 347 दिनांक 27.02.2021 प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 26.02.2021 के जरिये जारी किया गया है। उक्त पटटे की नकल प्राप्त करने हेतु ग्राम पचांयत में प्रार्थी द्वारा आवेदन करने पर अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट उल्लेख किया है कि उक्त पटटे से सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत आदर्श या पूर्व ग्राम पंचायत आदर्श डुंगरी में उपलब्ध नहीं है एवं अप्रार्थी संख्या एक को पूर्व में जारी उक्त पटटे की कोई मिसल ग्राम पंचायत मे बनी हुई नहीं है एवं न ही ग्राम पचांयत द्वारा पटटा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर आलौच्य पट्टे का पटटा नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जो काबिल खारिज के है। यह कि पटटा जारी करते समय प्रश्नगत भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या एक का किसी प्रकार का कोई कब्जा आधिपत्य नहीं रहा है और न ही उक्त भूमि पर अपार्थी संख्या एक का कब्जा आधिपत्य था। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत आदर्श को आलौच्य पट्टे का नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी करने का विधि में कोई अधिकार नहीं था, जिससे उक्त पट्टा व पट्टा नवीनीकरण प्रमाण पत्र काबिल खारिज के है। यह कि यह पंचायत निगरानी अन्दर म्याद प्रस्तुत है तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत करने हेतु विधि मे कोई अवधि नियत नहीं है अन्यथा भी अवैधानिक रुप से जारी किये गये पट्टो को निरस्त किये जाने हेतु कोई समय सीमा नहीं है। अतः प्राथी का नम्र निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या एक के हक में पूर्व ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी वर्तमान ग्राम पंचायत आदर्श द्वारा पटटा संख्या 001450 दिनाक 10.10.1999 एवं पट्टा नवीनीकरण प्रमाण पत्र कमांक 347 दिनांक 27.2.2021 को खारीज करना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या एक को नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। यह कि प्रार्थी का उक्त विवादित भूखण्ड पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही उसके द्वारा उसका उपयोग व उपभोग किया जा रहा है। यह कि ग्राम पंचायत आदर्श पूर्व ग्राम पंचायत आदर्श डुंगरी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में पट्टा संख्या 001450 दिनांक 10.10.1999 एवं पट्टा नवीनीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 347 दिनांक 27.02.2021 को जारी करने में किसी प्रकार की कोई गंभीर, कानूनी एवं तथ्यात्मक त्रुटी नहीं की है, क्योंकि उक्त दस्तावेज ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जारी किया गया है। यह कि उक्त पट्टाशुदा सम्पत्ति पर प्रार्थी का उसके पिता के जरिये करीब 43 वर्षों से कब्जा होने के कथन पूर्णतया गलत, मनघडंत है, जबकि वादग्रस्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या एक के पट्टेशुदा मालिकी स्वामित्व का भूखण्ड है, जिसका उपयोग उपभोग अप्रार्थी संख्या एक कदीम से करता आ रहा है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक का कदीम से वादग्रस्त भूखण्ड पर कब्जा चला आ रहा था और राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत उक्त भूमि आपसी बातचीत द्वारा बाजार दर पर अप्रार्थी संख्या एक को बेची गई है एवं इस संबंध में ग्राम पंचायत में नियमानुसार प्रस्ताव भी लिया गया था। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या एक के हक में नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है तथा उक्त पट्टे के दक्षिण दिशा में जवाराम मुलाजी का कब्जा था, जिसका उल्लेख पट्टे में किया गया है एवं उसके पश्चात पट्टा पंजीयन की समयावधि पूर्ण हो जाने से राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश की पालना में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर पट्टा नवीनीकरण करने का प्रस्ताव सर्व सहमति

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 03

से पारित कर पट्टा नवीनीकरण किया गया है, उसके पश्चात अप्रार्थी संख्या एक को अपने पारिवारिक कार्य हेतु रकम की आवश्यकता होने से उसने उक्त पट्टेशुदा सम्पत्ति को श्री धनाराम पुत्र सरदारिंग जी पुरोहीत निवासी आदर्श को कीमतन बेचान कर उसका विक्रय विलेख दिनांक 18.12.2023 को उप पंजीयक कार्यालय पिण्डवाडा में पंजीयन करवाया है एवं मौके पर कब्जा भी धनाराम पुत्र सरदारिंग जी पुरोहीत को सुपुर्द किया है एवं आज बतौर मालिक धनाराम पुत्र सरदारिंग जी पुरोहीत मौके पर काबिज है एवं उक्त भुखण्ड का उपयोग उपभोग बतौर स्वामी वे कर रहे है, जिसकी जानकारी प्रार्थी को शुरूआत से ही है इसके पश्चात भी प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या एक को जानबूझकर हैरान परेशान करने के लिये झुठे कथनो के आधार पर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा श्री धनाराम जी को जानते बुझते भी इस निगरानी प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया है, जिससे भी निगरानी प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं है। यह कि उक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या एक के हक में दिनांक 10.10.1999 को जारी किया गया है उक्त पट्टा जारी होने के करीब 25 वर्ष पश्चात उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो अवधि बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थी का इस प्रकरण से किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है और उसका कहीं भी हित प्रभावित नहीं होता है तथा इस प्रकरण में उसकी कोई Locus Standy नहीं है, जिससे उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होने से उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही कानूनन परिपोषणीय नहीं है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। शपथ पत्र के अभाव में उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं है। यह कि प्रार्थी जवाराम ने गांव आदर्श में काफी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है तथा अप्रार्थी संख्या एक के पुश्तैनी खातेदारी भूमि के संबंध में भी काफी विवाद करता रहता है तथा अप्रार्थी संख्या एक की कुछ पुश्तैनी कृषि भूमि सेटलमेंट के दौरान गलत रूप से प्रार्थी व नारायणलाल पुत्र मानाजी के नाम से गलती से उनके नाम उतर गई थी जिस पर नारायणलाल पुत्र मानाजी ने उस कृषि आराजी की रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या एक के हक में करवा दी थी परन्तु प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या एक के हक में रजिस्ट्री जानबूझकर नहीं करवा रहा है एवं अप्रार्थी संख्या एक द्वारा निवेदन करने पर उसे जानबूझकर गलत मुकदमें कर हैरान परेशान करता है और उसी बदईरादे से यह निगरानी प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिससे अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थी से विशेष हर्जाना के रूपये 25,000 /– भी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र मय खर्चे हर्जे खारिज कराना फरमायें तथा अप्रार्थी संख्या एक को विशेष हर्जाना के रूपये 25,000/– भी प्रार्थी से दिलाना फरमायें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेज के साथ निगरानी प्रार्थना पत्र की पत्रावली का भलिभॉति अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या एक को उक्त विवादित पट्टा संख्या 001450 दिनांक 10.10.1999 क्षेत्रफल 2100 वर्गफीट सरपंच ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी वर्तमान ग्राम पंचायत आदर्श द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है। तत्पश्चात ग्राम पंचायत आदर्श द्वारा दिनांक 26.02.2021 को प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा उक्त पट्टे का नवीनीकरण प्रमाण पत्र संख्या 347 दिनांक 27.02.2021 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार–

भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन– (1) पंचायत, गांव आवंटितियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों, गांव कारीगरों श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों,

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 04

गाड़ियां लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गए है या गृह/गृहस्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गए है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी (और ऐसी भूमि का पट्टा 23–ग में जारी किया जा सकेगा)

जहां तक अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किए जाने का कथन है, तो इस संबंध मे विधिक दृष्टान्त सएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, आरएलडब्लू 1997(3) राजस्थान पेज 1567 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियॉ जिला कलेक्टर को दी गई है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1953 की धारा 27(क) सपठित राजस्थान पंचायत एवं साधारण नियम 1961 के नियम 272 के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग अभिनिर्धारित न्यायोचित अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है। साथ ही न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी ।

अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किये जाने का कथन है, कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र लम्बे समय बाद प्रस्तुत किया है अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता का यह कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी विधिक दृष्टान्तों मे पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करना माना गया है, एवं ऐसे प्रकरण मे भी समयावधि के बारे मे उचित अवधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि सरपंच ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी वर्तमान ग्राम पंचायत आदर्श द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में उक्त विवादित पट्टा संख्या 001450 दिनांक 10.10.1999 क्षेत्रफल 2100 वर्गफीट राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है। तत्पश्चात ग्राम पंचायत आदर्श द्वारा दिनांक 26.02.2021 को प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा उक्त पट्टे का नवीनीकरण प्रमाण पत्र संख्या 347 दिनांक 27.02.2021 को जारी किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता का मुख्यतः तर्क है कि अप्रार्थी संख्या एक ने प्रार्थी के पिता के हक में जारी पट्टे से लगती भूमि पर पट्टा जारी करवाया गया है, जिस पर प्रार्थी का उसके पिता के जरिये गत करीब 43 वर्षों से ग्राम पंचायत की जानकारी में शान्तिपूर्वक बिना रुकावट के कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी के 5 ट्रोली पत्थर एवं लकडियां पडी हुई है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के चारों ओर कांटो की बाड की हुई है, जिस पर अप्रार्थी संख्या एक का कभी भी कोई कब्जा आधिपत्य नहीं रहा है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त पट्टेशुदा सम्पत्ति पर प्रार्थी का उसके पिता के जरिये करीब 43 वर्षों से कब्जा होने के कथन पूर्णतया गलत, मनघडंत है, जबकि वादग्रस्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या एक के पट्टेशुदा मालिकी स्वामित्व का भूखण्ड है, जिसका उपयोग उपभोग अप्रार्थी संख्या एक कदीम से करता आ रहा है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क तो किया गया है कि उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड पर प्रार्थी का उसके पिता के जरिए करीब 43 वर्षों से कब्जा अधिपत्य था, जिस पर प्रार्थी द्वारा पत्थर डलवाकर कांटों की बाड की हुई है, परन्तु प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त वादग्रस्त पट्टेशुदा भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा उसके पिता के समय से चला आ रहा है। अतः पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में उक्त वादग्रस्त भूखण्ड को प्रार्थी के कब्जे अधिपत्य का भूखण्ड होना नहीं माना जा सकता है। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त विवादित पट्टा संख्या 001450 दिनांक 10.10.1999 से

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 05

सम्बन्धित दस्तावेज, मिसल ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से उक्त पट्टा कूटरचित तरीके से जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा उक्त वादग्रस्त पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड उपलब्ध करवाने हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय को लिखा गया, जिस पर ग्राम पंचायत आदर्श द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/ग्रापंआ/2025–26/155 दिनांक 03.02.2026 के द्वारा यह व्यक्त किया है कि उक्त वादग्रस्त पट्टा संख्या 001450 दिनांक 10.10.1999 पुरानी अवधि में जारी किया गया है एवं उक्त पट्टे से सम्बन्धित दस्तावेज, मिसल काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिल रहे है। ऐसे में रेकर्ड उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं है। चूंकि पट्टे से सम्बन्धित दस्तावेज, मिसल को संधारित रखने का दायित्व ग्राम पंचायत का रहता है। यदि किसी पट्टे से सम्बन्धित दस्तावेज, मिसल ग्राम पंचायत कार्यालय में मिल नहीं रही है। केवल इस आधार पर पट्टे को कूटरचित माना जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, जबकि पट्टाधारक अप्रार्थी संख्या एक द्वारा इस न्यायालय को उक्त विवादित पट्टा संख्या 001450 दिनांक 10.10.1999 की मूल प्रति एवं रसीद संख्या 356 दिनांक 12.12.1999 की मूल प्रति वास्ते अवलोकनार्थ प्रस्तुत की, जिस पर ग्राम पंचायत कार्यालय की मौहर एवं तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर किए हुए है। अतः उक्त विवादित पट्टे की मूल प्रति पर तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर उपलब्ध होने एवं ग्राम पंचायत कार्यालय की मौहर अंकित होने से उक्त पट्टा ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी द्वारा ही जारी किया जाना प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त उक्त विवादित पट्टा संख्या 001450 दिनांक 10.10.1999 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए जाने के आधार पर ही ग्राम पंचायत आदर्श द्वारा दिनांक 26.02.2021 को प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा उक्त पट्टे का नवीनीकरण प्रमाण पत्र संख्या 347 दिनांक 27.02.2021 को जारी किया गया है तथा उक्त नवीनीकरण के सम्बन्ध में पट्टाधारक के मूल पट्टे की प्रति में नोट भी अंकित किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा उक्त वादग्रस्त पट्टेशुदा भूखण्ड को जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख के दिनांक 18.12.2023 को श्री धनाराम पुत्र श्री सरदारिंगजी जाति पुरोहित निवासी पुरोहित वास आदर्श तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को बेचान कर दिया गया है, जिसकी जानकारी इस वाद के माध्यम से भी प्रार्थी अधिवक्ता को हो चुकी थी, इसके उपरान्त भी प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा श्री धनाराम पुत्र श्री सरदारिंगजी पुरोहित को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः उक्त विवादित पट्टेशुदा भूखण्ड के वर्तमान क्रेता श्री धनाराम पुत्र श्री सरदारिंगजी पुरोहित को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही इस विवादित पट्टे का निरस्त करना श्री धनाराम के सुखाधिकारों का हनन होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी वर्तमान ग्राम पंचायत आदर्श द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी उक्त विवादित पट्टा संख्या 001450 दिनांक 10.10.1999 क्षेत्रफल 2100 वर्गफीट एवं नवीनीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 347 दिनांक 27.02.2021 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही